न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा (आरएएस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 93 / 2025
निर्णय दिनांक : 20.08.2025
दायर दिनांक : 19.06.2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 185

1. रामदेवाराम पुत्र मानाराम जाति जाट (मण्डा) निवासी ग्राम भाषीणा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
2. रामकरण पुत्र जयरामाराम जाति जाट (मण्डा) निवासी ग्राम भाषीणा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान

वादीगण..........

बनाम

1. श्रीमती मगनी पत्नी स्व. हड़मानाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
2. कमलराम पुत्र स्व. हड़मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
3. सुमन पुत्री स्व. हड़मानाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
4. राजूराम पुत्र स्व. हड़मानाराम जाति जाट उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जरिये प्राकृतिक संरक्षिता माता श्रीमती मगनी पत्नी स्व. हड़मानाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

प्रतिवादीगण..........

राजस्व वाद घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्त बाबत

उपस्थितः

1. वादीगण 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु व श्री ओमप्रकाश घोटिया।
2. प्रतिवादीगण 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र मोहलिया।
3. राजपैरोकार तहसीलदार सुजानगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2019 के आधार पर खरीदशुदा खेत खसरा नंबर 1360 / 1061 तादादी 0.5816 हैक्टेयर वाके रोही गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू में स्थित है जो खरीद के पश्चात् वादीगण के पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग, अधिकार में चला आ रहा है। वादीगण ने

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पति/पिता स्व. हड़मानाराम जाट पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम गेडाप से उनके खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1360/1061 तादादी 0.5816 हैक्टेयर वाके रोही गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू को पर्याप्त प्रतिफल अदा कर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2019 के द्वारा हड़मानाराम से क्रय की थी, जिसका विक्रय पत्र निष्पादित कर उपपंजीयक कार्यालय सुजानगढ़ में वादीगण के पक्ष में हड़मानाराम के द्वारा निष्पादित किया गया था। वादगत भूमि खरीद करने के दिन से वादीगण के पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग में चली आ रही है। वादीगण ने खरीद करने के बाद विक्रय पत्र की प्रति तत्कालिन पटवारी हल्का भाषीणा को दे दी थी, मगर पटवारी हल्का ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामन्तरणकरण वादीगण के नाम दर्ज नहीं किया। वादगत भूमि हड़मानाराम के नाम से ही चली आ रही थी। हड़मानाराम का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने बाले–बाले साजिसाना तौर पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अपने अन्य खसरान के साथ वादगत खसरा नंबर 1360/1061 की खातेदारी भी विरासतन अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि वादगत भूमि वादीगण की पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पति / पिता हड़मानाराम से खरीदशुदा भूमि है जिसके एक मात्र तन्हा खातेदार, काश्तकार वादीगण है। जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादगत खेत खसरा नंबर 1360/1061 तादादी 0.5816 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गेडाप वादीगण की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पति / पिता हड़मानाराम से खरीदशुदा भूमि है। प्रतिवादीगण ने हड़मानाराम के स्वर्गवास के पश्चात् बाले–बाले पटवारी हल्का से मिली भगत करके विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अपनी खातेदारी अंकित करवायी है। जबकि वादगत खेत खसरा नंबर 1360/1061 रोही ग्राम गेडाप वादीगण की पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुदा भूमि है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने राजस्व रेकॉर्ड में खेत खसरा नंबर 1360/1061 की खातेदारी गलत अंकित करवायी है। वादीगण उक्त गलत अंकन को राजस्व रेकॉर्ड मे हटाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। राजस्व रेकॉर्ड में खेत खसरा नंबर 1360/1061 की हद तक राजस्व रेकॉर्ड गलत व शून्य है। उक्त रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादीगण अपने खरीदशुदा खेत खसरा नंबर 1360/1061 रोही ग्राम गेडाप में सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान में फार्मर आईडी बनवाने के लिये दिनांक 09.06.2025 को ई–मित्र से जमाबंदी की नकल निकलवायी तब वादीगण को उक्त खरीदशुदा खेत की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। तब वादीगण ने दिनांक 10.06.2025 को प्रतिवादीगण से व पटवारी हल्का से वादगत खेत जो वादीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदशुदा है की खातेदारी दर्ज करवाने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का व प्रतिवादीगण ने वादगत खेत की खातेदारी दर्ज करने से साफ इन्कार कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

दिया, प्रतिवादीगण ने वादगत भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकियां भी दी यही वाद कारण है। वादगत भूमि वादीगण की स्व. हड़मानाराम से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र पर्याप्त प्रतिफल अदा करने के पश्चात् खरीदशुदा भूमि है, जिस पर खरीद के समय से वादीगण का पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग, अधिकार चला आ रहा है। वादगत भूमि खरीदशुदा खातेदारी भूमि होने के कारण वादीगण को वादाधार प्राप्त है।

वादगत खेत की खातेदारी हड़मानाराम से विरासतन गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ प्रतिवादी संख्या 4 के नाम भी दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 4 नाबालिग है जिसकी प्राकृतिक संरक्षिका व न्यायमित्र माता है। इसलिये उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 4 को जरिये प्राकृतिक संरक्षिका पक्षकार संयोजित कर वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद वादीगण घोषणात्मक, रेकॉर्ड दुरूस्ति का कृषि भूमि का है। वादी ने निवेदन किंया कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 1360/1061 तादादी 0.5816 हैक्टेयर रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू वादीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदार हड़मानाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू से खरीदशुदा भूमि है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम गलत दर्ज है। वादगत भूमि वादीगण की खरीदशुदा होने के कारण वादीगण वादगत भूमि के तन्हा खातेदार, काश्तकार है। वादगत खेत की खातेदारी में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम हटाकर खेत खसरा नंबर 1360/1061 वादीगण के नाम ब0हि0ब0 दर्ज कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं॰ 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र मोहलिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं॰ 5 की ओर से तहसीलदार पैरोकारराज उपस्थित आये। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं॰ 5 पेरोकारराज द्वारा राज्य हित निहित नहीं होना अंकित किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करनी नहीं चाही।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण सं॰ 1 ता 4 ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 व 2 के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29. 08.2019 के आधार पर खरीदशुदा खेत खसरा नंबर 1360/1061 तादादी 0.5816 हैक्टेयर वाके रोही गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू में स्थित है जो वादीगण की खरीदशुदा है, खरीद के पश्चात् वादीगण के पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग, अधिकार में चला आ रहा है। वादीगण द्वारा सहवन से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी दर्ज नहीं करावे सके। खातेदारी में हड़मानाराम के नाम दर्ज होने के कारण से विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाते समय भूल से हम प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो गयी जो कि गलत दर्ज हुई है,. जबकि उक्त खेत खसरा नंबर 1360/1061 की भूमि हड़मानाराम के समय से जरिये विक्रय पत्र वादीगण की खरीदशुदा भूमि है। वादगत खेत की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर वादीगण के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर खेत खसरा नंबर 1360/1061 तादादी 0.5816 हैक्टेयर वाके रोही गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करें।

बहस सुनी जाकर बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांकित 29.08.2019, प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 1360/1061 रोही गेडाप पेश किया। जमाबन्दी तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 28.08.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हड़मानाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ द्वारा रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा नम्बर 1360/1061 तादादी 0.5816 है0 सम्पूर्ण भूमि भूमि वादीगण के पक्ष में विक्रय किया गया है। परन्तु उपर्युक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पति/पिता स्व0 हड़मानाराम जाट पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम गेडाप की खातेदारी से उनकी पत्नी व पुत्र के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है। जबकि उपर्युक्त विक्रय पत्र के अनुसार प्रशनगत भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होनी चाहिये थी। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने न्यायालय में हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है, कि वादगत खेत खंसरा नं0 1360/1061 तादादी 0.5816 है0 वाके रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ जिला चूरू के वादीगण ब0हि0ब0 के खातेदार है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड गलत होने के कारण शून्य है। वादगत भूमि में वादीगण खातेदार ब0हि0ब0 के खातेदार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने बाबत तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के वादगत खेत ख0नं0 1360/1061 तादादी 0.5816 है0 रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ की खातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम हटाकर वादीगण के नाम ब0हि0ब0 दर्ज कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत - **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

रामदेवाराम आदि बनाम मगनी आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 93 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु अधिवक्ता, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व घोषित किया जाता है, कि वादगत खेत खंसरा नं0 1360/1061 तादादी 0.5816 है0 वाके रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ जिला चूरू के वादीगण ब0हि0ब0 के खातेदार है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड गलत होने के कारण शून्य है। वादगत भूमि में वादीगण खातेदार ब0हि0ब0 के खातेदार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने बाबत तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के वादगत खेत ख0नं0 1360/1061 तादादी 0.5816 है0 रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ की खातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम हटाकर वादीगण के नाम ब0हि0ब0 दर्ज कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करें। .... बाबत ....

चीज.. मुबलिग ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **20 माह 08 2025**

दस्तखत ....

ओहदा .... उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनतानाव कीलपर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना